

**कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)**

क्रमांक:- स्टेनो/प्रशा./2023/37

दिनांक :- 22.11.2023

**-:: कार्यालय आदेश ::-**

मैं कविता राणावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 14 व 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक निर्देश के आधार पर राजपत्रित अवकाशों की निम्न तिथियों में, आवश्यक प्रकृति के दण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारीगण का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करती हूँ।

क्र० सं०	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं०
01	03.12.2023	श्रीमती मीनाक्षी मीणा-II	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल	मो०नं०-9413082048
02	09.12.2023 10.12.2023	श्रीमती मनीषा अग्रवाल-I	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता	मो०नं०-8239151025
03	17.12.2023	श्रीमती साक्षी चौधरी	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद	मो०नं०-8764391289
04	23.12.2023 24.12.2023	श्रीमती संयोगिता	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-1, छबड़ा	मो०नं०-9001560043
05	01.01.2024	श्रीमती राजवीर कौर न्यायाधिकारी	ग्राम न्यायालय, अटरू	मो०नं०-7737159076

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।

नोट :- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(कविता राणावत)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां (राज0)

क्रमांक :- 1237, 1238, 1239

o/c

दिनांक :- 22-11-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।



3. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website -[baran.dcourt.gov.in](http://baran.dcourt.gov.in) पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई-मेल करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(कविता राणावत)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां  
जिला बारां(राज0)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बारां (राज.)